जा.क्र.दमक्षेसांकें / ऑ.सि.क्रॉ.मेला / 2032 / 2016 दि.30 / 12 / 2016

प्रति,

....

....

....

विषय : 25 वाँ ऑरेंज सिटी क्रॉफ्ट मेला (रजत जयंती समारोह) नागपुर ।

महोदय / महोदया,

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उपरोक्त मेले का आयोजन **दि. 03 से 12 फरवरी, 2017 तक** करने जा रहा है । केन्द्र पिछले 24 वर्षो से **''आरेंज सिटी क्रॉफ्ट मेले''** का आयोजन सफलतापूर्वक करता आ रहा है और अब यह मेला राष्ट्रीय स्तर पर नागपुर की एक विशिष्ट पहचान के रूप में स्थापित हो चुका है । सम्पूर्ण देश के 200 से भी अधिक हथकरघा एवं हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित कलाकृतियों की प्रदर्शनी एवं बिक्री, देश के सर्वश्रेष्ठ पारंपारिक लोक कलाओं एवं नृत्यों का आयोजन तथा परम्परागत भारतीय व्यंजन इस मेले की भव्यता को चार चॉद लगाते हैं । यह मेला हथकरघा एवं हस्तशिलपियों को एक सशक्त व्यवसायिक मंच भी प्रदान करता हैं।

रजत जयंती समारोह के अवसर पर इस वर्ष ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला का आयोजन बडे पैमाने पर किया जा रहा है । इस वर्ष **''छत्तीसगढ़''** थीम राज्य है एवं **''भारतीय साडी परिधान''** यह थीम शिल्प रखी गयी है ।

राष्ट्रीय स्तर के इस क्रॉफ्ट मेले में भाग लेने हेतु आपको यह आमंत्रण प्रेषित किया जा रहा है। मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से राज्य अथवा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हथकरघा या हस्तशिल्पीयों को स्टॉल राशि में न केवल आकर्षक छुट ही दी जायेगी बल्कि स्टॉल आबंटन करते समय उन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी । छुट की दरें निम्न हैं :

* राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकार – 50 %
* राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट प्राप्त कलाकार – 40 %
* राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कलाकार – 30 %
* Exhibition के साथ Demonstration बनाने वाले कलाकार – 30 %
* छत्तीसगढ़ के हाथकरघा एवं हस्तशिल्पकार – 30 % एवं निःशुल्क संस्कृति केवल मंत्रालय, छत्तीसगढ़ की अनुशंसा पर
* सूती,सिल्क एवं खादी निर्मितसाड़ियां करने वाले हथकरघा कलाकार – 30 %
* विदेशी हाथकरघा एवं हस्तशिल्पी (Through their embassies only) – निःशुल्क

ऑरेंज सिटी क्रॉफ्ट मेले में भाग लेने संबंधी समस्त जानकारी आवेदन पत्र में संलग्न हैं । यदि आप इस मेले भाग लेना चाहते है तो निर्धारित आवेदन पत्र, स्टॉल का किराये की डी.डी., पहचान पत्र, राष्ट्रीय अथवा राज्य पुरस्कार प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र (नियमावली नुसार) दिनांक 15.01.2017 तक निदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर को भेज दें ।

निदेशक,
द.म.क्षे.सां.कें,नागपुर

नोट :(1)इस पत्र प्राप्ती का मतलब आपको स्टॉल आबंटित किया गया है ऐसा नहीं है । आबंटन करने का सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र निदेशक को होगा जिसकी अंतिम सूचि केन्द्र के वेब साईट पर दी जाएगी । जिन हस्तशिल्पीओं का चयन नहीं होगा उनके डी.डी. वापस कर दिये जाऐंगे । छुट की दर सिर्फ एक ही बार में उपरोक्तानुसार दी जायेगी

Passpost Size Photo

Not for NGOs or Govt. Agencies

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर

56/1, आमदार निवास के सामने, सिव्हील लाईन्स्, नागपुर – 440 001
टेलिफोन नं. 0712–2562974, फॅक्स नं.0712–2560966

25वाँ ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला (रजत जयंती समारोह) नागपुर
दिनांक 03 – 12 फरवरी, 2017

हथकरघा एवं हस्तशिल्पियों के लिए स्टॉल आबंटन संबंधी आवेदन पत्र (अहस्तांतरणीय)

1. व्यक्ति या संस्था का नाम : ....

2. पता :..

....

3. दूरध्वनि क्र..मोबाईल क्र. ....

ई–मेल ....

4. शिल्प प्रकार का ब्यौरा : ....

5. स्टॉल प्रकार :

	साईझ	Rent **(किराया)** (For Artisans/ NGO)	Rent **(किराया)** (For Govt. Agencies)
(अ)	10′ x 10′ आकार का स्टॉल	25,000/–	40,000
(ब)	10′ x 20′ आकर का स्टॉल	50,000/–	80,000
(क)	15′ x 15′ आकार की खुली जगह	35,000/–	60,000

6. इसके पूर्व आपने नागपुर में ऑ.सि.क्रा.मेले में भाग लिया हो तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा दें । ....

....

7. क्या आप को राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर पर किसी राजकीय संस्था द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ है ?
हॉ /नहीं
यदि हॉ तो सम्मान अथवा पुरस्कार का पूर्ण विवरण

* पुरस्कार/सम्मान का नाम : ....
* संस्था का नाम जिसके द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया : ....
* वर्ष : ....

8. मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से राज्य अथवा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हथकरघा या हस्तशिल्पीयों को स्टॉल राशि में निम्नलिखित छुट दी जायेगी :

* राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार – 50 %
* राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट प्राप्त शिल्पकार – 40 %
* राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकार – 30 %
* Exhibition के साथ Demonstration करने वाले शिल्पकार– 20 %
* छत्तीसगढ़ के हाथकरघा एवं हस्तशिल्पकार – 30 % एवं निःशुल्क केवल संस्कृति मंत्रालय,छत्तीसगढ़ की अनुशंसा पर
* सूती,सिल्क एवं खादी निर्मित साड़ियां बनानेवाले हथकरघा कलाकार–30 %
* विदेशी हाथकरघा एवं हस्तशिल्पी (Through their embassies only)–निःशुल्क

कृ.पि.दे.

9. स्टॉल की राशि रू...................................... रसीद क्र................................. दिनांक ....
मैने भाग ''अ'' में दर्शायी गई सभी शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ा है । मैं इन शर्तों को स्वीकार करता/करती हूॅं एवं उनका पालन करूंगा/करूंगी ।

स्थान : ....

दिनांक : ....

शिल्पकार/संस्था का नाम एवं हस्ताक्षर

नोट : स्टॉल आरक्षण हेतु ''अ'' में दर्शाये शर्तो के अनुसार दर्शाई गई राशि का भुगतान सिर्फ डीमाण्ड ड्राफ्ट Director, South Central Zone Cultural Centre, payable at Nagpur के नाम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजे ।

कार्यालयीन उपयोग के लिये

स्टॉल आरक्षण हेतु स्टॉल राशि रू... लेखा विभाग कार्यालय में जमा करना है ।

कनिष्ठ सहायक :

वरिष्ठ सहायक :

कार्यक्रम अधिकारी :

वरि. प्रशा. एवं लेखा अधिकारी :

मा. निदेशक :

स्टॉल राशि की रक्कम रू. .... नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट क्र...................... बॅंक.................. द्वारा रसिद क्र. .... दि. .... को प्राप्त हुये ।

वरि.सहा./कनि. सहा.(लेखा विभाग)
द.म.क्षे.सां.केन्द्र, नागपुर

दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर
ऑरेंज सिटी क्रॉफ्ट मेला रजत जयंती समारोह, नागपुर
नि य मा व ली ''अ''

(1) स्टॉल के निर्धारित न्यूनतम दर प्रति स्टॉल रू.25,000/–(10′ x 10′), रू.50,000/–(10′ x 20′) एवं रू. 35,000/– (15′ x 15′) खुली जगह होगी। उपरोक्त राशि केवल शिल्पियों तथा गैर सरकारी संस्थाओं के लिये निर्धारित हैं । सरकारी संस्थाओं के लिए यह राशि क्रमशः प्रति स्टॉल रू.40,000/–(10′ x 10′), रू.80,000/–(10′ x 20′) एवं रू.60,000/– (15′ x 15′) खुली जगह होगी। यह राशि **दिनांक 15 जनवरी, 2017** तक के लिये मान्य है। प्रत्येक स्टॉल के लिए केन्द्र द्वारा 2 कुर्सी, 2 टेबिल एवं 2 टयूब लाईट दिये जायेंगे ।

(2) स्टॉल में स्वयं निर्मित शिल्प ही स्टॉल में रखना होगा। मशीन द्वारा बनाई गयी अथवा व्यवसायिक वस्तुऍ स्टॉल में बिक्री एवं प्रदर्शन हेतु नहीं रख सकेंगे। विकास आयुक्त हेन्डलूम/हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित शिल्पकार का पहचान पत्र होना आवश्यक है, उस आधार पर ही स्टॉल आवंटित किया जायेगा ।

(3) स्टॉल का आवंटन करते समय उन शिल्पकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो National Awardee, National Merit Certificate Awardee एवं State Awardee हैं। इन शिल्पकारों का सम्मान रखते हुये उनको स्टॉल के दर में निम्ननुसार रीयायत (Concession) भी दिया जायेगा ।

(5) National Awardee – 50%
(6) National Merit Certificate Awardee – 40% एवं
(7) State Awardee – 30%
(8) Demonstration (प्रात्याक्षिक हेतु) – 20% (मेला खत्म होने के पश्चात)
(5) छत्तीसगढ़ के हाथकरघा एवं हस्तशिल्पकार–30% एवं निःशुल्क केवल संस्कृति मंत्रालय,छत्तीसगढ़ की अनुशंसापर
(6) सूती, सिल्क एवं खादी निर्मित साड़ियां बनाने वाले हथकरघा कलाकार – 30 %
(7) विदेशी हथकरघा एवं हस्तशिल्पी – निःशुल्क

इस वर्ष ''भारतीय साडी परीधान'' यह क्राफ्ट थीम रखी है जिसमें संबंधित शिल्पकारों को 30% की छुट दी जायेगी और इसके स्टॉल केन्द्र के हॉल में आवंटीत होंगे ।

(4) शिल्पकारों को यदी इस क्राफ्ट मेले में भाग लेना है तो अपने आवेदन पत्र के साथ –साथ वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र,फोटो एवं रॅशन कार्ड की प्रतिलिपि, किराया राशि का डी.डी., पुरस्कार प्रमाणपत्र एवं हस्ताक्षर सहित प्रतिज्ञापत्र संलग्न करना होगा। ओरिजिनल पहचान पत्र मेले के समय अपने साथ रखें ।

(5) समस्त शिल्पकारों को सहभाग हेतु किसी भी प्रकार का आने जाने का किराया, प्रवास भत्ता, मानधन एवं आवास/ भोजन का खर्च नहीं दिया जायेगा । यह व्यवस्था स्वयं को करनी होगी । **शिल्पकार को मेले दरम्यान स्वयं हाजीर रहना होगा ।**

(6) **मेला प्रतिदिन दोपहर 01 बजे से शुरू होगा एवं रात्रि 09 बजे तक जारी रहेगा ।**

(7) किसी भी प्रकार की जानकारी कार्यक्रम प्रभारी या निदेशक द.म.क्षे.सां.केन्द्र, नागपुर द्वारा ही दी जायेगी

(8) मेले के लिए लायी गई सामग्री को मेला खुलने के पूर्व 12 बजे तक अपने स्टॉल में व्यवस्थित साफ सुथरा रखना होगी । परिसर की स्वच्छता पर भी ध्यान रखना होगा ।

(9) स्टॉल या खुली जगह को आवंटित करने का पूर्ण अधिकार मा. निदेशक को रहेगा ।

(10) स्टॉल एवं केन्द्र परिसर में धुम्रपान,मद्यपान एवं किसी भी प्रकार का नशा करना अथवा भोजन पकाना सक्त मना है

(11) यदि कोई शिल्पकार पहले ब्लॅक लिस्ट हुआ है और वह दुसरे के नाम पर स्टॉल लेता हैं, वह केन्द्र के अधिकारी के ध्यान में आने से धारक व जिसके नाम से स्टॉल लिया हैं उसे भी ब्लॅक लिस्ट किया जायेगा तथा स्टॉल आबंटन रद्द किया जायेगा ।

(12) यदि किसी कारणवश स्टॉल आकार एवं प्रकार में बदल होता है तो वह शिल्पकार को सुचित किया जाएगा एवं उसे ये मान्य करना होगा ।

(13) किसी भी विवाद में अथवा निर्णय में केन्द्र के मा. निदेशक का निर्णय अंतीम रहेगा ।

(14) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिती में उसका परिक्षेत्र नागपुर उच्च न्यायालय रहेगा ।

(15) केन्द्र किसी भी प्रकार के जान व माल के नुकसान की भरपाई नहीं करेंगा। शिल्पकार यदि चाहें तो वे अपना एवं अपने सामान का बीमा स्वयं के खर्चे पर करवा सकते हैं ।

(16) क्राफ्ट मेले के दरम्यान स्टॉल खाली करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा। स्टॉल की राशि वापीस नहीं की जायेगी।

(17) समस्त भुगतान केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार की जायेगी जो कि निदेशक, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर के नाम रहेगा ।

(18) यदि आप मेले में भाग लेना चाहते है तो संलग्न आवेदन पत्र अलग भरकर (Fill-up कर) भेजे।

(19) ऑ.सि.क्रा.मेला की रजत जयंती मे जो हस्तशिल्पी सहभागी होंगे उनको प्रोत्साहित करने हेतु ''शिल्प सन्मान'' से सम्मानित किया जायेगा। इस हेतु केन्द्र द्वारा दो विशेष पुरस्कार रखे गये है। प्रथम पुरस्कार रू.51,000/–, द्वितीय पुरस्कार रू.31,000/– का होगा । यह पुरस्कार उन हथकरघा एवं हस्तशिल्प कलाकारों को दिया जायेगा जो शिल्पकार मेले दरम्यान अवधि में अपने पारंपारिक वेशभुषा, शिल्प सजावट, शिल्प की किमत, स्टॉल पर आनेवाले लोगो के साथ उनका व्यवहार, स्वच्छता एवं शालीनता पर निर्भय और निर्णायक होगा।

हस्ताक्षर/–
निदेशक,
दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,नागपुर

प्रतिज्ञापत्र

(1) मुझे खुली जगह/स्टॉल लॉटरी द्वारा आवंटित किए गये अनुसार आवंटीत स्टॉल नहीं बदलूंगा/बदलूंगी । यदि मैं आवंटित स्टॉल धारण नहीं करता/करती हूँ तो भुगतान की गई राशि नहीं मांगुगा/मांगुगी ।

(2) मैं स्टॉलधारक शिल्प सामग्री के लिए राशि जमा करूंगा/करूंगी उनके अतिरिक्त किसी भी अन्य शिल्प सामग्री को स्टॉल में नहीं रखुंगा/रखूंगीं एवं तैयार भी नही करूंगा/करूंगी । यदि इस प्रकार की कोई अनियमितता पाई गई तो मेरा स्टॉल रद्‌द करने का अधिकार आयोजक का होगा एवं स्टॉल राशि वापिस नहीं लूंगा/लूंगी।

(3) मैं, स्टॉलधारक अपना स्टॉल एवं स्टॉल के बाजु में खुली जगह साफ सुथरी रखुंगा/रखुंगी।

(4) मेले के प्रथम दिन प्रत्येक शिल्प की निर्धारित की गई किमत व मात्रा को मेले के दरम्यान अन्य दिनों में किसी भी हालत में घटाया या बढ़ाया नहीं जायेगा ।

(5) मेरे स्टॉल में रखे सभी शिल्प व अन्य वस्तुओं की सुरक्षा मैं स्वयं करूंगा/ करूंगी ।

(6) मुझे आवंटित स्टॉल में ही मैं अपने शिल्पों की सामग्री की बिक्री एवं बैठक व्यवस्था करूंगा/करूंगी । उसके आसपास किसी भी परिस्थिति में अन्य जगह का उपयोग नहीं करूंगा/करूंगी ।

(7) कचरा डालने हेतु मैं अपना स्वयं का कूड़ादान रखूंगा/ रखूंगी ।

(8) मैं **दोपहर 01** बजे स्टॉल शुरू करूंगा/करूंगी और रात 09 बजे स्टॉल बंद करूंगा/करूंगी ।

(9) मुझे आवंटित स्टॉल अथवा खुली जगह मेला के एक दिन पहले दोप. 3 बजे से दिये जाने पर सामग्री रखूंगा/रखूंगी।

(10) स्टॉल या खुली जगह को आवंटित करने का पूर्ण अधिकार कार्यक्रम प्रमुख को रहेगा इसमें किसी प्रकार का मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा /करूंगी ।

(11) यदि मैं मेले के एक दिन पहले तक आवंटित स्टॉल को अपने कब्जे में नहीं लेता/लेती हूँ तो आयोजक उस खाली स्थान/जगह को किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित कर सकेंगे जो मुझे स्वीकार होगा। मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा/ करूंगी ।

(12) मैं अपनी आवंटीत जगह का कोई भी हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को किराये से नही दूंगा/दूंगी । मैं सिर्फ एक ही प्रकार का शिल्प रखूंगा/रखूंगी ।

(13) मेले के अंतिम दिन जब मैं अपने शिल्प की समस्त सामग्री ले जाऊंगा/जाऊंगी तो केन्द्र के बाहर जाने के पूर्व मैं केन्द्र के प्राधिकृत अधिकरी से अनापत्ति प्रपत्र प्राप्त करूंगा/करूंगी । मैं बगैर अनापत्ति प्रपत्र के सामग्री बाहर नहीं ले जाऊंगा/जाऊंगी । मैं नियम का पूर्णतः पालन करूंगा/करूंगी ।

(14) मैं मेला खत्म होने के तुरंत बाद अपनी समस्त सामग्री मेला ग्राऊंड से बाहर ले जाऊंगा/जाऊंगी । यदि मैं सामग्री बाहर नहीं ले गया/गयी तो रू.500/–प्रतिदिन के हिसाब से राशि जमा करूंगा/करूंगी ।

(15) मैं स्टॉल में अथवा केन्द्र परिसर में चाय,नाश्ता, भोजन नहीं बनाऊंगा/बनाऊंगी ।

(16) मैं स्टॉल में संगीत उपकरण का उपयोग नहीं करूंगा/करूंगी ।

(17) मुझे आयोजक की ओर से प्राप्त पहचान पत्र मैं किसी को हस्तांतरित नहीं करूंगा/करूंगी ।

(18) मैं केन्द्र के निदेशक का क्रॉफ्ट मेला संबंध में या किसी भी प्रकार के विवाद में निर्णय लेने का तथा अन्य अधिकारों व निर्देशो का पालन करूंगा/करूंगी और उनके द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा ।

(19) मैं आने जाने का किराया, आवास एवं भोजन का खर्च स्वयं करूंगा/करूंगी । आवास, भोजन की व्यवस्था मैं स्वयं करूंगा/करूंगी । (केन्द्र परिसर के बाहर)

(20) मेले में आने वाले दर्शक, ग्राहक, अन्य स्टॉल धारक एवं कार्यालयीन कर्मचारी के साथ मेरे द्वारा अभद्र व्यवहार करने पर आयोजक द्वारा मेंरा स्टॉल बंद करने पर मुझे कोई आपत्ती नहीं होगी ।

(21) केन्द्र परिसर में धुम्रपान व किसी भी प्रकार का नशा/पानी नहीं करूंगा/करूंगी ।

(22) मैं उपरोक्त नियमो का उलंघन करता/करती हूँ तो मेरा स्टॉल आयोजक द्वारा तुरंत बंद करने पर तथा मेरा नाम ब्लॅक लिस्ट में शामील करने पर मुझे कोई आपत्ती नहीं रहेगी । भविष्य में मुझे मान्य होगा ।

(23) किसी भी विवाद में अथवा निर्णय में केन्द्र के मा. निदेशक का निर्णय मुझे मान्य होगा ।

(24) यात्रा के दौरान अथवा मेले मे किसी भी प्रकार के सामान गुम अथवा जान व माल के नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी केन्द्र की नहीं होगी ।

(25) **स्टॉल आबंटित करने का सम्पूर्ण अधिकार/अंतिम निर्णय केन्द्र निदेशक का होगा। की जो कार्यक्रम के एक दिन पहले होगा।**

(मैंने उपरोक्त प्रतिज्ञापत्र की एवं नियमावली शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़ा हैं एवं सभी शर्ते मुझे/हमें मंजूर हैं एवं उनका पालन करूंगा/करूंगी)
निम्न स्वाक्षरी पुरे होश हवास में नशाविरहीत अवस्था में कर रहा/रहीं हूँ ।

दिनांक : आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

(1)गवाह के हस्ताक्षरः .... नाम :..

नाम : .... स्थानः ....

(2)गवाह के हस्ताक्षरः ....

नाम : ....